न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :— रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न0— 260/2016
जी.सी.एम.एस. नं. 2016/00480

निर्णय दिनांक : 09.03.2022

रामेश्वर वगै0 बनाम गोपाल वगै0

अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2018 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम छापौली पटवार हल्का छापौली के भूमि ख.नं. 2446, 2447, 2448, 2449, 2522, 2523, 2524, 2525 कुल किता 8 कुल रकबा 3.85 है0 का वादीगण एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.05.2018 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) गुढा गौड़जी से पत्र क्रमांक:— भू0अ0/341 दिनाक 14.02.2020 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर वादी ने आपति प्रार्थना पत्र पेश किया। आपति प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता हैं। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.02.2020 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.02.2020 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:24:31 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी